

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14 ()2019/संयुक्त रोड/एफसीए/प्रमुखसं/ 2286

दिनांक: 25.08.2020

निमित्त:-

✓ शासन सचिव
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 11.8259Ha. Forest Land in favour of National Highway Authority of India, Bikaner for Upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala-Poogal Section (Design Ch. 0.000 to Ch. 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala-Naukh under Bharatmata Pariyojana.
(Proposal No. FP/RJ?Road/41036/2019)

प्रसंग:- भारत सरकारसर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/29/2020/एफसी/765 दिनांक 28.07.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ने अपने पत्रांक 6236 दिनांक 21.08.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है:-

S.No.	Observation	Compliance
1.	Documentary proof of existence of road prior to 1980 and calculation of penal NPV has to be submitted.	By user agency Proof of existence of road prior to 1980 is enclosed and calculation of penal NPV has to be submitted. (Annex-1)
2.	Scheme for road side plantation as per IRC norms has to be provided. Perusal of cross sections at the most of the place shows that a width of 3m is available on either side of the road for plantation.	By user agency the scheme of road side Plantation shall be carried out as per the IRC:SP:21. Details of Plantation and Typical Cross section for same is enclosed. (Annex-2)
3.	Muck disposal scheme approved by concerned DFO need to be submitted.	By user agency Muck disposal scheme is hereby submitted for approval of DFO, is enclosed. However the undertaking by the NHAI for disposal of remaining waste material outside the forest land, is submitted with the FCA proposal. (Annex-3)

उक्तानुसार प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमति के साथ दो प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया एक प्रति (मूल) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

सलंगन: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफीसर (एफ.सी.ए.)
जयपुर, राजस्थान।

दिनांक:

क्रमांक: एफ 14 () 2019 / संयुक्त रोड / एफसीए / प्रमुवसं /

प्रतिलिपि उप महा निदेशक वन (केन्द्रीय) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच. अलीगंज, लखनऊ (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(पी.सी.कुमावत)
उप वन संरक्षक(एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर।